(8)

## न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी

आर.ए.एस

प्रकरण सं0 02/2016

अनवानी:–

राजस्थान राज्य

बनाम

1 बन्दी छिन्दा सिंह उर्फ छिन्दा पुत्र मंगला राम जाति बाल्मीकि सा. 4 केएसपी तह0 टिब्बी।

2 श्री गुरमेल सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख सा0 4 केएसपी तह. टिब्बी।

(जमानतदार )

3 श्री चानण राम पुत्र सुरजा राम जाति नायक सा. 4 केएसपी तह0 टिब्बी।

(जमानतदार )

प्रकरण अर्न्तगत धारा 446 सीआरपीसी

उपस्थित:–

1:– अभियोजन अधिकारी

2:–श्री भगवान दास गुजर अभिभाषक अप्रार्थी 2 व 3

**–निर्णय–**

**दिनांक:–11.01.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बन्दी छिन्दा सिंह उर्फ छिन्दा को श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 हनुमानगढ द्वारा आदेश क्रमांक 2437–2444 दिनांक 26.3.12 से 40 दिन की पैरोल अवकाश स्वीकृत किया गया। पेरोल अवकाष स्वीकृति के बाद बन्दी की ओर से अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा 1,00,000/–1,00,000/– रूपये की जमानतें प्रस्तुत करने पर आदेश क्रमांक 3986 दिनांक 21.5.12 से पेरोल अवकाश पर जाने के आदेष प्रसारित किये गये।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर ने अपने पत्रांक 7656–57 दिनांक 8.7.12 से अवगत कराया कि बन्दी छिन्दा सिंह उर्फ छिन्दा को 40 दिवस पेरोल अवधि जो दिनांक 07.7.12 को समाप्त हुई । पेरोल अवधि समाप्त होने पर बन्दी दिनांक 07.7.12 को सही समय पर हाजिर नहीं होकर फरार हो गया। उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर ने अपने पत्रांक 17697–701 दिनाक 23.7.12 से सूचित किया कि उक्त बंदी के संबंध में जमानत मुचलके जब्ती बाबत कार्यवाही करने का श्रम करावें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

प्रथमतः प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ में दिनांक 12.9.12 को दायर हुआ। दिनांक 6.12.16 को यह प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से श्री भगवान दास गुजर अभिभाषक उपस्थित आये। साथ ही अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी चारणराम ने अपने जबाब में अंकित किया कि बन्दी दिनांक 06.7.12 को पुलिस थाना टिब्बी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर बीकानेर जेल में उपस्थित होने के लिए ट्रेन से रवाना हुआ था। बन्दी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने नशीला पदार्थ खिला दिया जिस कारण बन्दी अचेत अवस्था में चला गया और बन्दी जोधपुर पहुंचकर होश आया तो उसने अपना सामान सम्भाला तो गायब मिला। उसके बाद बन्दी जिला कारागृह बीकानर पहुंचा तो उक्त बैग चोरी होने के सबंध में बताया। परन्तु जेलर द्वारा दी गयी चिटठी व कागजात के अभाव मे जेर से बन्दी को प्रवेश देने से मना कर दिया। इस संबंध में बन्दी मा0 न्यायालय के समक्ष एक प्रा0पत्र भी दिनांक 13.7.12 को प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा बन्दी ने दिनाक 14.7.12 को बीकानेर अधीक्षक को प्रा0पत्र पेश कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु लिखित में निवेदन किया था। बन्दी जानबूझकर गैर हाजिर नहीं हुआ बल्कि उक्त घटना घटित होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था व छिन्दा सिंह ने स्वयं को कारागार मे प्रवेश हेतु मौखिक व लिखित रूप से भी निवेदन किया गया था। जिस पर छिन्दा सिंह को दिनांक 14.7.12 को कारागार में प्रवेश दिया गया व अब छिन्दासिंह कारागृह में है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिया कि बन्दी फरार होने तथा जमानत जब्त कर संबंधित राशि प्रार्थी से वसूलने का जारी किया है। चूंकि बन्दी कारागृह में स्वयं उपस्थित हो गयाहै इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही ड्राप की जावे। इसी तरह का जबाब अप्रार्थी गुरमेल सिंह द्वारा पेश कर कार्यवाही ड्राप करने का निवेदन किया गया है।

बहस सुनी गयी। अपर लोक अभियोजक ने अपनी बहस में कथन किया कि बन्दी की जमानत अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी थी । जिनका दायित्व था कि वे बन्दी को पेरोल अवधि समाप्त होने पर संबंधित कारागृह में उपस्थित करवाते परन्तु बन्दी सही समय पर कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए बन्दी के संबंध में अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी जमानत 1,00,000/– ,1,00,000/– रूपये जब्त कर राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपनी बहस में जबाब नोटिस में दिये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बन्दी जानबूझकर पेरोल अवधि समाप्त होने पर संबंधित कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ बल्कि उसके साथ उक्त घटना घटित होने के कारण अनुपस्थित रहा। बन्दी दिनांक 14.7.12 को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

(17)

उपस्थित हो चुका है। बन्दी उक्त घटना के कारण मात्र 7 दिन ही देरी से उपस्थित हुआ है। इसलिए बन्दी के साथ उक्त घटना घटित होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरूद्ध विचाराधीन कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। बन्दी को उक्तानुसार 40 दिवस का पेरोल अवकाश स्वीकृत किया गया था परन्तु बन्दी नियत दिनांक 07.7.2012 को संबंधित कारागृह में उपस्थित नहीं होकर दिनांक 13.7.12 तक फरार रहा व पुनः कारागूह में दिनांक 14.7.12 को उपस्थित हुआ। इस प्रकार बन्दी नियत दिनांक को कारागृह में उपस्थित नहीं होकर फरार रहा है। बन्दी को स्वीकृत पैरोल पर रिहा करने के लिए अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा जमानत द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। जमानतदारों का दायित्व था कि वे बन्दी को नियत दिनांक को संबंधित कारागार में उपस्थित करवाते परन्तु जमानतदारों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है । धारा 446 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जमानतदार द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बन्दी के पक्ष में अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जानी उचित है।

अतः बन्दी की पेरोल अवधि के लिए अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी जमानत 1,00,000/– 1,00,000/ राशि जब्त की जाती है। जमानत राशि वसूल करने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट हनुमानगढ को निर्णय की एक प्रति जमानत राशि वसूल करने बाबत व प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट हनुमानगढ व अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बीकानेर को निर्णय की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

( प्रकाश चन्द्र चौधरी )
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़